न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण-I (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 158 / 2025 | **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025 / 354**
दायर दिनांक :– 07.07.2025 | **निर्णय दिनांक :– 28.01.2026**

1. अर्जुनलाल पुत्र जोगराज जाति कुमावत जाति कुमावत निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी
–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)
–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादिनी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आशय से पेश किया कि वादी की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 0.8822 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 174 रकबा 3.4884 हैक्टेयर भूमि सरहद मौजा मनचितिया पटवार हल्का सांवरा गांव तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। वादी का सही एवं वास्तविक नाम अर्जुनलाल पुत्र जोगराज कुमावत है जो पहचान संबंधित दस्तावेज में दर्ज है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा राजस्व अभिलेख में वादी का नाम अपनी मनमर्जी से अर्जुनराम पुत्र जोगाराम दर्ज कर दिया जबकि वादी का सही एव वास्तविक नाम अर्जुनलाल पुत्र जोगराज कुमावत है तथा इसी नाम से वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज परिचय पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि बने हुवे है तथा वादी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। इसलिये वादी मनचिया पटवार हल्का सांवरा गांव तहसील बाप के खसरा नम्बर 173 रकबा 0.8822 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 174 रकबा 3.4884 हैक्टेयर भूमि में दर्ज अपने गलत नाम अर्जुनराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर अपने सही एवं वास्तविक नाम अर्जुनलाल पुत्र जोगराज कुमावत के नाम खातेदार काश्तकार की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम मनचितिया पटवार हल्का सांवरा गांव तहसील बाप के खसरा नम्बर 173 रकबा 0.8822 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 174 रकबा 3.4884 हैक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम अर्जुनराम पुत्र जोगाराम दर्ज है जबकि वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड इत्यादि में अर्जुनलाल पुत्र जोगराज कुमावत दर्ज है। इसलिये वादी को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर उकत वाद का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने का श्रम करावें। वादी ने अपने साक्ष्य का शपथ पेश किया इनके बयान पी.डब्लू–1कलमबद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नहीं की गई। पत्रावली बहस में रखी गयी।

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2075–2078 ग्राम मनचितिया पटवार हल्का सांवरा गांव तहसील बाप के खसरा नम्बर 173 रकबा 0.8822 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 3.4884 हैक्टेयर स्थित है। वादी का नाम राजस्व अभिलेख जमाबंदी में अर्जुनराम पुत्र जोगाराम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, कार्यालय नगर पालिका बाप द्वारा जारी प्रमाण–पत्र इत्यादि से साबित है कि वादी का नाम अर्जुनलाल पुत्र जो[redacted]राज है। वादी के बयान पी.डब्लू–1 में एंव साक्ष्य के शपथ पत्र में वर्तमान जमाबंदी प्रदर्श–1, नगर पालिका बाप का प्रमाण–पत्र प्रदर्श–2, आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श–3ए, परिचय पत्र, पेन कार्ड प्रदर्श–4ए है। वादी को अर्जुनराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर अर्जुनलाल पुत्र जोगराज के नाम से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मनचितिया पटवार हल्का सांवरा गांव तहसील बाप के खसरा नम्बर 173 रकबा 0.8822 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 3.4884 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम अर्जुनराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर अर्जुनलाल पुत्र जोगराज के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya..

(सत्य नारायण, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सत्य नारायण–I (आर.ए.एस.)

1. अर्जुनलाल पुत्र जोगराज जाति कुमावत जाति कुमावत निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 158/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सत्य नारायण–I पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्दसिंह सोंलकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम मनचितिया पटवार हल्का सांवरा गांव तहसील बाप के खसरा नम्बर 173 रकबा 0.8822 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 174 रकबा 3.4884 हैक्टेयर भूमि में वादी के राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम अर्जुनराम पुत्र जोगाराम के स्थान पर अर्जुनलाल पुत्र जोगराज के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28.01.2026 को जारी की गई।

Satya.

(सत्य नारायण–I R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।